न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 46/2017
GCMS No. : 2017/00305

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1. सुरेश भाटी पुत्र श्री दीपाराम (विक्रेता) मैसर्स भैरवा मेडिकोज महावीर कॉम्पलेक्स सुरजपोल पाली 2. 1. विशाल अरोडा पुत्र श्री चन्द्रमोहन अरोडा 2. अजय अरोडा पुत्र चन्द्रमोहन अरोडा मैसर्स विशाल फार्मा डिस्ट्रीब्युटर 4-1 बी जवाहर नगर जयपुर 3. अरूण कट्टा मैसर्स कट्टा बायोटेक 39ए–40 अशोक विहार अम्बाबाडी ब्रिज जयपुर 4. Intas Pharmaceuticals Ltd. 201B Begum Bridge, Meerut (Devtara Ind.) Delhi-Meerut Road, Vill. Basantpur saintl Th- Modi Nagar Dist- Ghaziabad (U.P.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री रामलाल भाटी उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 12-7-2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित था। प्रार्थी दिनांक 16.09.2016 को दौराने गश्त अप्रार्थी की दुकान मैसर्स भैरवा मेडिकोज महावीर कॉम्पलेक्स सुरजपोल पाली पर गया। फर्म पर अप्रार्थी स्वंय उपस्थित मिला जिसे प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया। अप्रार्थी की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि दुकान में आमजन को विक्रय हेतु Protein powder with vitamins & minerals(Protein Intas Brand) के 41 पैक डिब्बे रखे हुए थे जिसमें प्रत्येक डब्बे में 200 ग्राम पाउडर था, जिसमें मिलावट का शक हुआ, तब मौके पर प्रपत्र 5ए भरकर रूबरू गवाह एवं विक्रेता के हस्ताक्षर कर तैयार किया गया। प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता व गवाह को यह बता दिया कि यह नमूना वास्ते जांच एफएसएसए एक्ट के तहत ले रहा हूं, उक्त खाद्य पदार्थ Protein powder with vitamins & minerals (Protein Intas Brand) में से 8 मूल पैक डिब्बे प्रोटिन फूड सप्लीमेन्ट वास्ते जांच हेतु 335/–रूपये में क्रय कर रसीद प्राप्त की जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। विक्रेता एवं गवाह के सामने खरीदशुदा Protein powder with vitamins & minerals(Protein Intas Brand) को चार भागों में विभाजित कर किया। जिस पर डी.ओ.कोड व सिरियल नम्बर, नाम, पता, वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित किये, जिसको चारों नमुना पैक पर चिपकाया तथा लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–572 अंकित किया एवं नमूने का विवरण दर्ज कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। उपरोक्त समस्त कार्यवाही

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

प्रार्थी ने गवाह एवं विक्रेता के सामने मौके पर ही की गई। अप्रार्थी संख्या 01 ने उक्त खाद्य पदार्थ Protein powder with vitamins & minerals (Protein Intas Brand) अप्रार्थी संख्या 02 विशाल फार्मा डिस्ट्रीब्युटर्स जयपुर से जरिये बिल संख्या 6679 दिनांक 07.09.2016 से खरीद किया एवं अप्रार्थी संख्या 02 ने उक्त खाद्य पदार्थ अप्रार्थी संख्या 03 कट्टा बायोटेक जयपुर से खरीद किया एवं अप्रार्थी संख्या 03 ने उक्त खाद्य पदार्थ अप्रार्थी संख्या 04 Intas Pharmaceuticals Ltd Meerut vill Basantpur Saintl dist Ghaziabad से जरिये चालान नम्बर 1002610742 दिनांक 19.08.2016 से खरीद किया जिनके बिल की प्रति पत्रावली में सलंग्न है। अप्रार्थी की दुकान से लिया गया नमुना नम्बर आर–572 को प्रार्थी स्वंय ने दिनांक 19.09.2016 को सीलबन्द कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाया एवं रसीद प्राप्त की। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन कमांक एल.एस./1154/एक्ट/2016/1190 दिनांक 19.10.2016 में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या एक की दुकान से लिया गया Protein powder with vitamins & Minerals(Protein Intas Brand) का नमुना Misbranded & Sub Standard पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Misbranded & Sub Standard, Protein powder with vitamins & minerals(Protein Intas Brand) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंधन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से उनके अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 की दुकान से लिया गया नमुना संख्या आर–572 अप्रार्थी संख्या 02 से जरिये बिल खरीद किया था जिसकी प्रति पत्रावली के सलग्न है अप्रार्थी संख्या 01 ने जिस अवस्था में अप्रार्थी संख्या 02 से खरीद किया था वैसा ही आमजन को विक्रय किया जाता है इसमें अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा किसी प्रकार का बदलाव नही किया जाता है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 01 का कोई दोष नही है अतः अप्रार्थी संख्या 01 को दोषमुक्त करावें।

अप्रार्थी संख्या 03 व 04 ने अपनी प्रारम्भिक आपत्तियों में कथन में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर अप्रार्थी संख्या 01 की दुकान से नमुना जाचं किया है उक्त Protein powder with vitamins & minerals (Protein Intas Brand) खाद्य पदार्थ की श्रैणी में नही आता है यह एक दवा के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसकी जांच जिला औषधि नियंत्रक अधिकारी के द्वारा ही की जा सकती है। प्रश्नगत उत्पाद का उत्पादन निर्माता फर्म "न्युट्रा मैक्स हेल्थ केयर" कम्पनी द्वारा किया जाता है जो राज्य सहायक ड्रग नियंत्रक लाइसेंस ऑथोरिटी कम कन्ट्रोलिंग ऑथोरिटी नाहन जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) के द्वारा ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंव इस अधिनियम के नियमों उपनियमों के तहत जारी किया गया है, जो विक्रय एंव वितरण के लिए अधिकृत है। अप्रार्थी संख्या 04 द्वारा प्रश्नगत पदार्थ का उत्पादन नही किया जाकर न्युट्रामैक्स कम्पनी के द्वारा उत्पाद का विक्रय/विपणन किया जाता है जो कि एक दवा निर्माता कम्पनी है प्रश्नगत उत्पाद एक दवा कि श्रैणी में आता है, इसलिए प्रार्थी ने अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर अप्रार्थी संख्या 01 की दुकान से नमुना लेकर प्रकरण श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत किया है जो काबिल खारिज योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर अप्रार्थीगण को राहत प्रदान करावें।

हमने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक द्वारा वक्त बहस कथनों एवं पत्रावली पर उपलब्ध जवाब एवं अभिलेखों का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजो से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी कि दुकान पर की गई कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार की गई है एवं नियमानुसार की प्रक्रिया अपनाते हुए की है। पत्रावली पत्र उपलब्ध जांच रिपोर्ट का अवलोकन से पाया गया कि उक्त खाद्य पदार्थ की एनालेसिस रिपोर्ट के अनुसार निर्माता फर्म ने खाद्य सुरक्षा और मानक(पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम 2011 की धारा 2.2.2(2), 2.2.2(3)(i)(ii), 2.2.2(4), 2.2.2(5)(ii) and 2.2.2(10) का उल्लघंन किया है, साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत पदार्थ का उत्पादन वितरण एंव विनियमन कर खाद्य सुरक्षा अधिनियम

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

के तहत Sub-standard as it contains less quantity of protein than declared and misbranded under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act 2006 के तहत पाया गया है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम की धारा 51 एवं 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य पदार्थ Protein powder with vitamins & minerals (Protein Intas Brand) Misbranded & Sub-Standard का उत्पादन विनियमय एंव विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 एवं 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर 15000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 04 तक प्रत्येक पर 50,000/– अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र कुल 165000/– एक लाख पैंसठ हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
आदेश निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 12-7-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
आदेश निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली